विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में भी खुलेंगे कौशल विकास केंद्र

यूपी कौशल विकास मिशन करेगा पहल

अक्षय कुमार

लखनऊ। प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास का दायरा और बढ़ेगा। इसके तहत आईटीआई व माध्यमिक विद्यालयों के बाद अब राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भी कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। उप्र कौशल विकास मिशन खुद इसके लिए पहल करेगा। जरूरत के अनुसार वह ट्रेनिंग पार्टनर व बजट भी मुहैया कराएगा।

ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से जोड़ने के लिए उप्र कौशल विकास मिशन की ओर से इस साल यह नई पहल शुरू की जा रही है। इससे राज्य विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

खासकर महिला कॉलेजों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे ताकि छात्राओं उनको स्वरोजगार व रोजगार के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा सके। हाल ही में कौशल विकास मिशन मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। इसमें कहा गया कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए।

इसके बाद यूनिवर्सिटी-कॉलेजों के साथ बैठक कर इसे लागू करने की चर्चा की जाए ताकि स्नातक स्तर के युवाओं को भी अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि पहले चरण में राजकीय यूनिवर्सिटी व डिग्री कॉलेजों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे

सड़क पर नहीं खड़ी होंगी रोडवेज बसें स्टेशन के भीतर ही उतरेंगे-बैठेंगे यात्री

लखनऊ। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन निगम ने सड़क सुरक्षा और भीषण गर्मी को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अब रोडवेज बसें सड़क किनारे खड़ी नहीं होंगी। यात्रियों को बस स्टेशन परिसर के भीतर ही चढ़ाया और उतारा जाएगा। निगम के एमडी प्रभु एन सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। ब्यूरो

पट्टे की खुली बोली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बी.के.जी.एस. इण्टर कॉलेज, परखम (मथुरा) की विभिन्न मोजों में स्थित कृषि योग्य भूमि की नीलामी दिनांक 24 मई 2026 को सेठ बी.एन.पोद्दार इण्टर कॉलेज मथुरा (छावनी स्टेशन के सामने) दोपहर 12 बजे से होगी। जो किसान भूमि को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर लेना चाहते हैं वे निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं।

सचिव

कार्यालय नगर पंचायत सौंख, जनपद मथुरा

पत्राक:- 52/न.प. सौंख. / 15वाँ वित्त आयोग/2026-27 दिनांक: 16/05/2026

ई-निविदा प्रेस सूचना

नगर पंचायत सौंख में 15 वाँ वित्त आयोग सामान्य एवं निर्दिष्ट अनुदान द्वितीय किश्त 2025-26 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत सौंख जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.04.2026 एवं सामान्य व निर्दिष्ट अनुदान प्रथम किश्त 2025-26 स्वीकृति 31.12.2025 के क्रम में विहित प्रावधानों के अंतर्गत अर्ह ठेकेदारो/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत सौंख मथुरा में 15 वाँ वित्त आयोग सामान्य एवं निर्दिष्ट अनुदान प्रथम एवं द्वितीय किश्त 2025-26 की संस्तुतियो के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास कार्य कराना चाहती है। जिसके लिये अर्ह ठेकेदारों / फर्मों से ई-निविदाएँ ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

Tender Reference Number 01 To 06/15 vaa vitt/2026-27

Sr.No.	Description	Date	Time
1	3	4	5
1	Document Downloding Start Date	20-05-2026	11.00 A.M.
2	Document Downloding End Date	10-06-2026	06.00 P.M.
3	Online Bid Submission Start Date	20-05-2026	11.00 A.M.
4	Online Bid Submission Closing Date	10-06-2026	06.00 P.M.
5	Document Downloding Start Date	20-05-2026	11.00 A.M.
6	Technical bid opening date	11-06-2026	10.00 A.M.
7	Pre-bid Meeting	-	-
8	Financial bid opening After Evalution of Technical Bids.		

ई-निविदा हेतु उल्लेखित कार्यों का विवरण, उनकी आगणन लागत, निविदा की धरोहर राशि, निविदा मूल्य, तथा अवधि का विवरण, शर्तों व प्रतिबन्ध पोर्टल W.W.W.http//etender.up.nic.in पर दिनांक 20.05.2026 को पूर्वाह्नः 11:00 बजे से देखा जा सकता है। ई-निविदा पोर्टल पर प्रत्येक कार्य की अलग-अलग निविदा आमंत्रित की गयी हैं। निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में अग्रिम कार्य दिवस पर निविदाए खोली जायेगी। अन्य कोई भी जानकारी कार्यालय कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते है।

लिपिक/ टेण्डर कमेटी सदस्य	अवर अभियन्ता/ टेण्डर कमेटी सदस्य	अधिशासी अधिकारी / टेण्डर कमेटी अध्यक्ष
नगर पंचायत सौंख, मथुरा।	नगर पंचायत सौंख, मथुरा।	नगर पंचायत सौंख, मथुरा।

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

संख्या:- 1982/मा०वि०/न०नि०म०वृ०, मथुरा/2026-27 दिनांक: 21-05-2026

ई-निविदा सूचना

नगर निगम मथुरा वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत वृन्दावन में कालीदह पार्किंग लगभग 1600 वर्गगज भूमि पर पार्किंग कर वाहनों को व्यवस्थित कराने एवं निर्धारित पार्किंग शुल्क वसूल किये हेतु निविदाएं दिनांक 22.05.2026 से दिनांक 11.06.2026 सांय 03.00 बजे तक ई0 टैण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य की निविदा दिनांक 11.06.2026 को सांय 04.00 ई-टैण्डरिंग कार्यालय मे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस मे पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी। विस्तृत शर्तें/विवरण एवं निविदा प्रपत्र 3ए0 की ई-प्रिक्योरमेण्ट वेबसाईट https://etender.up.nic.in/ से देखा व प्राप्त किया जा सकता है:-

क्र0 स0	विवरण	निविदा की न्यूनतम धनराशि	निविदा शुल्क (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	धरोहर राशि (रू0 मे)
1	नगर निगम सीमान्तर्गत वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत कालीदह पार्किंग लगभग 1600 वर्गगज भूमि पर पार्किंग पर पार्किंग शुल्क वसूली का कार्य	रू0 8,50,000/-	450+81=531/-	85,000/-

S.no	Schedule	Date	Time
1	Document Publish date	22.05.2026	02.00 pm
2	Document sale start date	22.05.2026	02.00 pm
3	Bid submission Start Date	22.05.2026	02.00 pm
4	Bid submission End Date	11.06.2026	03.00 pm
5	Bid Opening date	11.06.2026	04.00 pm

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
नगर निगम मथुरा वृन्दावन

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक: 33/म०प्र०वि०/न०नि०म०वृ०/2025-26 दिनांक: 21/05/2026

अल्पकालीन ई-निविदा

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों एवं अन्य राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से 10 मी0 सेमीहाईमास्ट लाइट, 12.5 मी0 सेमीहाईमास्ट लाइट, 07 एंव 08 मी0 पोल लाइट शिफ्ट एंव 07, 08 डिस्मैन्टल कर कार्यालय में जमा कराने का कार्य एंव 70 वाट 90 वाट की स्ट्रीट लाइट स्थापना किये जाने का कार्य कराया जाना है। निविदाएं ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निम्नलिखित शिडयूल के अनुसार आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य की निम्न तालिका में दर्शित कार्यक्रम के अनुसार निविदाएँ समिति व उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगीं। अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेंगी। ऐसे निविदादाता/फर्म जो नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में पंजीकृत नही है, के लिये शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के आलोक में निविदादाता को विस्तर्त शर्ते/निविदा सम्बन्धी विवरण एवं निविदा प्रपत्र 3ए0 की ई0-प्रिक्योरमेंट वेबसाई http://etender.up.nic.in से देखा व प्राप्त किया जा सकता है।

S.no	Schedule	Date	Time
1	Document publish date	22/05/2026	02:00 PM
2	Document sale start date	22/05/2026	02:00 PM
3	Bid submission start date	22/05/2026	02:00 PM
4	Bid submission end date	06/06/2026	01:00 PM
5	Technical bid opening date	06/06/2026	03:00 PM

नोट: निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलि-भांति पढ व समझ ले। निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना संभव नहीं होगी। इच्छुक निविदादाता नियमित रूप से उक्त वेबसाइट की समय-समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध कोई परिवर्तन/अतिरिक्त विवरण ई-पोर्टल/बेवसाईट http://etender.up.nic.in पर ही दी जायेंगी।

अपर नगर आयुक्त (प्रभारी प्रकाश)
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नं. एच-2, ताज नगरी फेज 2, फतेहाबाद रोड, आगरा | ई-नीलामी 25.06.2026

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति (बैंक ऑफ इण्डिया) हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूति- वाता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियाँ जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है का कब्जा प्रतिभूति लेनदार (बैंक ऑफ इण्डिया) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर प्रतिभूति लेनदार की अधोलिखित रुपये की बकाये राशि की वसूली हेतु अंकित तिथि 25.06.2026 को प्रातः 11 बजे से सायः 5 बजे तक बेचा जायेगा।

क्र. सं.	ऋणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	
	जिला आगरा, शाखा: आगरा एम.सी.बी. सम्पर्क करें मो.: 9528856664		
1.	**ऋणी/बंधककर्ता-** श्री सतीश उपध्याय पुत्र टीका राम, पता- नगर निगम न. 32-ए/जी-213, कमला नगर, हरीपर्वत वार्ड, तहसील एवं जिला आगरा, **गारंटर-** श्रीमती नीता उपध्याय, दोनों का पता- 27, बेंजर बाग गोपाल जी मार्ग, अवधपुरी, शहरगंज, आगरा **बकाया राशि: रू. 20,61,040.94 + ब्याज व अन्य खर्चे, पटायें बमुनी यदि कोई हुई हो तो**	मकान संख्या 32-ए/जी-213, कमला नगर, आगरा, एरिया: 38.70 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री सतीश उपाध्याय के नाम, चौहद्दी: पूर्व- मकान संख्या जी-211, पश्चिम- 2.00 मीटर चौड़ा रास्ता, उत्तर- खुली जमीन, दक्षिण- मकान संख्या जी-215	**आरक्षित मूल्य: 18,28,000/-** / **अग्रिम धनराशि: 1,82,800/-** / **सांकेतिक**
	जिला आगरा, शाखा: कमला नगर, सम्पर्क करें मो.: 8650568665		
2.	**ऋणी-** श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा, पता- फ्लैट नंबर 108 (द्वितीय तल) श्री राम विहार गुम्मट, बल्केश्वर, आगरा **बकाया राशि: रू. 10,46,222.73 + ब्याज व अन्य खर्चे, पटायें बमुनी यदि कोई हुई हो तो**	साम्यिक बंधक संपत्ति स्थित फ्लैट न. 108, दूसरी मंजिल, खसरा नं. 1060, 1017, 1009, श्री राम विहार, गुम्मट, मौजा गटवारन, बल्केश्वर, आगरा, एरिया: 41.80 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री मनोज शर्मा पुत्र राम गोपाल शर्मा के नाम, चौहद्दी: पूर्व- कॉरिडोर, पश्चिम- खुला आकाश, उत्तर- फ्लैट नंबर 107, दक्षिण- अन्य की संपत्ति	**आरक्षित मूल्य: 12,10,000/-** / **अग्रिम धनराशि: 1,21,000/-** / **सांकेतिक**
3.	**ऋणी/बंधककर्ता-** श्री सुखपाल सिंह पुत्र सूरि सिंह, **सह-ऋणी/बंधककर्ता-** श्रीमती बलजीत कौर भोखनारी पत्नी सुखपाल सिंह, दोनों का पता- फ्लैट नंबर, एस-9, दूसरी मंजिल, बलदेव आशियाना मंजिल, महर्षिपुरम, तहसील एवं जिला आगरा **बकाया राशि: रू. 27,17,863.89 + ब्याज व अन्य खर्चे, पटायें बमुनी यदि कोई हुई हो तो**	आवासीय फ्लैट संख्या एस-9, दूसरी मंजिल, बलदेव आशियाना फ्लैट, महर्षि पुरम, तहसील एवं जिला आगरा, एरिया: 125.41 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री सुखपाल सिंह एवं श्रीमती बलजीत कौर भोखनारी के नाम, चौहद्दी: पूर्व- फ्लैट संख्या एस-10, पश्चिम - अन्य की संपत्ति, उत्तर - कॉमन रास्ता एवं गेट, दक्षिण - फ्लैट संख्या एस-08	**आरक्षित मूल्य: 34,85,000/-** / **अग्रिम धनराशि: 3,48,500/-** / **सांकेतिक**
	जिला आगरा, शाखा: मारुति एस्टेट, सम्पर्क करें मो.: 9411620576		
4.	**ऋणी-** श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह, सह-ऋणी- श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री वीरेंद्र सिंह, दोनों का पता- 75 बी/1, कावेरी कुंज, फेस-2, कमला नगर, आगरा **बकाया राशि: रू. 14,90,473/- + ब्याज व अन्य खर्चे, पटायें बमुनी यदि कोई हुई हो तो**	आवासीय फ्लैट स्थित फ्लैट नंबर 203, दूसरी मंजिल, राधा कृष्ण अपार्टमेंट्स, राधा विहार, हरिपरवत वार्ड, कमला नगर, आगरा, एरिया: 102.18 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री समर सिंह के नाम, चौहद्दी: पूर्व- फ्लैट नंबर 204, पश्चिम - फ्लैट नंबर 202, उत्तर - गलियारा एवं निकास, दक्षिण - खुला आसमान	**आरक्षित मूल्य: 24,81,000/-** / **अग्रिम धनराशि: 2,48,100/-** / **सांकेतिक**
	जिला आगरा, शाखा: ताज बुलंद, सम्पर्क करें मो.: 8979962200		
5.	**ऋणी-** स्व. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल की संपत्ति का प्रतिनिधित्व उनके कानूनी वारिसों द्वारा किया जा रहा है, जिनके नाम हैं श्रीमती रमा देवी पत्नी स्व. श्री सतीश कुमार (स्वयं व्यतिगत के रूप में, तथा साथ ही अवयस्क कानूनी वारिसों की स्वाभाविक अभिभावक के रूप में), गारंटर- श्री राम गोपाल पुत्र श्री चांद दोनों का पता- नई आबादी, महादेव नगर, राजेश्वर मंडी, शमशाबाद रोड, आगरा **बकाया राशि: रू. 12,73,721.86 + ब्याज व अन्य खर्चे, पटायें बमुनी यदि कोई हुई हो तो**	आवासीय मकान स्थित खसरा नंबर 13 का भाग, स्थित नई आबादी, महादेव नगर, राजेश्वर मंडी, शमशाबाद रोड, आगरा, एरिया: 9.29 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री सतीश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल के नाम, चौहद्दी: पूर्व- रास्ता 5.4 मीटर चौड़ा, पश्चिम- जीहर खान का प्लॉट, उत्तर- राजेश का प्लॉट, दक्षिण- अन्य का प्लॉट	**आरक्षित मूल्य: 11,54,500/-** / **अग्रिम धनराशि: 1,15,450/-** / **सांकेतिक**
	जिला मथुरा, शाखा: मूलेश्वर रोड, सम्पर्क करें मो.: 7500770578		
6.	**ऋणी-** 1. मैसर्स आघवाल मेडिकल एजेंसी (प्रोप.- श्री बृज मोहन अग्रवाल), पता- दुकान नं. 6, यादव मार्केट, आर्य समाज रोड, मथुरा, 2. श्री बृज मोहन अग्रवाल, गारंटर- श्रीमती सावित्री अग्रवाल, दोनों का पता- 1560, अंताप्राड़ा, शंकर मिठाई वाले के पीछे, होली गेट, मथुरा **बकाया राशि: रू. 27,12,876.44 + ब्याज व अन्य खर्चे, पटायें बमुनी यदि कोई हुई हो तो**	साम्यिक बंधक अंचल संपत्ति स्थित दुकान संख्या 6, भूतल पर, यादव कॉम्प्लेक्स, अंदरन मोहल्ला अंताप्राड़ा, आर्य समाज रोड, तहसील एवं जिला मथुरा, एरिया- 9.29 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्रीमती सावित्री देवी के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- गली जीरियाँ, पश्चिम- दुकान का गेट एवं मैसर्स मार्केट 8 फीट, उत्तर- निजी दुकान संख्या 5, दक्षिण- निजी दुकान संख्या 7	**आरक्षित मूल्य: 26,49,000/-** / **अग्रिम धनराशि: 2,64,900/-** / **भौतिक**
	जिला मथुरा, शाखा: मथुरा मेन, सम्पर्क करें मो.: 9411411829		
7.	**ऋणी-** श्री मो. साकिर पुत्र श्री मुन्ना कुरैशी, पता 1- 1974, मनोहरपुरा, भरतपुर गेट मथुरा, पता 2- फ्लैट नंबर 186, खसरा नंबर 3775, नवनीत नगर, मौजा मथुरा बांगर तहसील एवं जिला मथुरा **बकाया राशि: रू. 19,37,429.10 + ब्याज व अन्य खर्चे, पटायें बमुनी यदि कोई हुई हो तो**	आवासीय संपत्ति स्थित फ्लैट नं. 186 (भाग), खसरा नं. 3775, नवनीत नगर, मौजा मथुरा बांग, तहसील एवं जिला मथुरा, एरिया: 93.36 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री साकिर पुत्र श्री मुन्ना कुरैशी के नाम, चौहद्दी: पूर्व- सतमा के प्लॉट 186 का भाग, पश्चिम - फ्लैट नं. 185, उत्तर - 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण - फ्लैट नं. 183	**आरक्षित मूल्य: 27,26,000/-** / **अग्रिम धनराशि: 2,72,600/-** / **सांकेतिक**

ई-नीलामी की तिथि: 25.06.2026, समय: सुबह 11: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक

नियम एवं शर्तेः- 1. यह ई-नीलामी पीएसबी अलायंस द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी में भाग लेने के लिए, बोलीदाताओ को वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करके पंजीकरण कराना होगा। 3. बोलीदाताओ के पास वैध पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 4. सफल पंजीकरण के बाद बोलीदाता को प्रत्येक संपत्ति के लिएनिर्धारित बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओ की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। 5. बोली लगाने वाले निर्धारित नीलामी अवधि के दौरान संपत्ति पर बोली लगा सकते हैं। 6. नीलामी अवधि के अंत में उच्चतम बोली लगाने वाला ही विजेता घोषित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी, जो बैंक के अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। विजेता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा। बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा बैंक द्वारा पहले से भुगतान जमा की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर लेगा। भुगतान भुगतान में चूक होने पर संपत्ति दुसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को दीजा सकती है या पुनर्विक्रय की जा सकती है और चूक करने वाले क्रेता का कोई दावा नही होगा। संपत्ति पर सेवि सभी वैधानिक और अन्य शुल्क क्रेता वहन किए जाएंगे। 7. यदि किसी भी कारण से बिक्री की पुष्टि नही होती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, तो बोली लगाने वाले को बिक्री से संबंधित सभी आकस्मिक खर्चा का वहन करना होगा और क्रेता बोली लगाने वाला किसी भी प्रकार के मुआवजे या हर्जाने का दावा करने का हकदार नही होगा। 8. इच्छुक पक्ष बोलीदाता अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी से सपर्क कर सकते है। 9. संपत्ति की बिक्री के संबंध मे बैंक / अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. संपूर्ण विक्रय मूल्य के भुगतान और विक्रय संबंधी औपचारिकताओ के पूर्ण होने पर, सफल क्रेता बोलीदाता को विक्रय प्रमाण पत्र सरफेसी नियम मे निर्धारित प्रारूप के अनुसार) जारी किया जाएगा। सफल क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सभी मौजूदा पूर्व भविष्य के कर और शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकस्मिक व्यय आदिवहन करने होंगे। 11. यह सूचना उपरोक्त उधारकर्ताओ गिरवीदारो गारंटरो को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8 (6)/6(2)/9 (1) के तहत भी दी गई सूचना है। 12. बोली लगाने वाले अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था बोली लगाने वाले को स्वयं करनी होगी, बैंक सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओ, सिस्टम क्रैश, बिजली गुल होने आदि के लिए जिम्मेवार नही होंगे। 13. इच्छुक बोलीदाताओ को बैंक के शुल्कों के अलावा किसी भी प्राधिकरण द्वारा संपत्ति पर किसी भी दावे, शुल्क और भार के संबंध मे सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, विस्तार, गुणवत्ता और मात्रा के बारे मे स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। 14. यदि उधारकर्ता बिक्री की तारीख से पहलेभी को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी को रोका / रद्द किया वापस लिया जा सकता है। 15. यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 मे निर्धारित शर्तों और इस संबंध मे भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण मे बैंको के वित्तानिर्देशों के अधीन है। 16. संपूर्ण मूल्यांक के प्रस्तावों को प्राधिकारियों की मंजूरी और संसंद और महीनरी के लिए बोली पर उपयी विचार किया जाएगा जब भुनी और मनन के लिए कोई बोली प्राप्त नही होगी। 17. बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए और बोलीदाता को भविष्य मे अपनी पेशकश को 10,000 रुपये के गुणक मे सुधारना होगा। 18. यदि किसी लॉट की अंतिम बोली राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो नीलामी खरीदार को बैंक को अंतिम भुगतान करते समय आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए केअनुसार अचल संपत्ति के बिक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत टीडीएस (वजन कटौती) काटकर आयकर विभाग को बैंक ऑफ इंडिया पैन नंबर AAACB0472C के नाम से जमा करना होगा और बैंक को चालान / करचाता की प्रतिलिपि और फॉर्म 26qb अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। खरीदार को अन्य सभी लागू वैधानिक कर,देय राशि, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर,सोसायटी शुल्क और अन्य सभी समान शुल्क भी वहन करने होंगे। 19. अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषाके संस्करण मे किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति मे, अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। 20. बोलीदाताओ को ई-नीलामी के दिन ऑनलाइन बोली जमा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति मे, एक बार बोली जमा हो जाने पर बोलीदाता जमा की गई राशि के लिए बाध्य होगा / होंगे और किसी भी अनुरोध / संवाद पर विचार नही किया जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिनो की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकर्ता / गारंटरो को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त राशि का भुगतान अग्रताल ब्याज और अन्य संबंधित खर्चा सहित ई-नीलामी की तिथि से पहले कर दें। अन्यथा, सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 22.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी

SBI

प्रतिबलित परिसंपत्ति वसूली शाखा-II, 18/4, IV तल , आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005(केन्द्र ऑफिस, एसबीआई, प्रशासकीय कार्यालय, संजय प्लेस, आगरा, 282002) टेली: 0562-2520125, फैक्स: 0562-2520305, ईमेल: sbi.51521@sbi.co.in

मांग सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 (सरफेसी एक्ट 2002) की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न ऋणकर्ता **मैसर्स मोहन ट्रेडिंग कम्पनी (श्री मोहन लाल अग्रवाल) पुत्र स्व. श्री राम किशन अगरवाल (प्रोपराईटर एवं गारंटर) 30/142, चिट्टी खाना, रावत पारा, आगरा, उत्तर प्रदेश** ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई लोन फेसिलिटी की प्रमुख ऋणराशि व ब्याज का वापिस भुगतान नहीं किया है और उक्त लोन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बन गई है। प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण और प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर जारी की गई थी परंतु ये सूचनाएं बिना सर्व हुए ही वापिस लौटा दी गई हैं अतः अब उन्हें एतद्द्वारा इसके बारे में जन सूचना के जरिये सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता/गारंटर का नाम	संपत्ति का विवरण/प्रवर्तित की जाने वाली प्रत्याभूतित परिसंपत्तियों का पता	सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि	बकाया राशि (सूचना की तिथि अनुसार)
1.	(1) मैसर्स सोहन ट्रेडिंग कम्पनी, श्री मोहन लाल अगरवाल पुत्र स्व. श्री राम किशन अगरवाल (प्रोपराइटर एवं गारंटर) 30/142, चिट्टी खाना, रावत पारा, आगरा, उत्तर प्रदेश (2) श्री मोहन लाल अगरवाल पुत्र स्व. श्री राम किशन अगरवाल (प्रोपराइटर एवं गारंटर) आवासीय फ्लैट 51, विजय श्री अपार्टमेंट, विजय नगर कलोनी, आगरा (3) श्री सोहन लाल अगरवाल पुत्र स्व. श्री राम किशन अगरवाल (गारंटर) फ्लैट 43, विजय श्री अपार्टमेंट, विजय नगर कलोनी, विजय नगर	**चल सम्पत्ति:** (चल सम्पत्तियों का हाईपोथेकेशन) बैंक वित्त से सृजित सभी कार्ट ऐसेट्स (दोनो वर्तमान एवं भावी), प्लंट एवं मशीनरी हाईपोथेकेशन **अचल सम्पत्ति :** अचल सम्पत्ति का समान रेहन: श्री मोहन लाल अगरवाल एवं श्रेय (amp); श्री सोहन लाल अग्रवाल के नाम में फ्लैट, विजय श्री अपार्टमेंट, विजय नगर कलोनी, आगरा से संबंधित चौथे तल पर खुले टैरेस सहित आवासीय फ्लैट 51, पांचवां तल, नगर निगम सं. 22/63/5/51, का समान रेहन। फ्लैट का माप 133.85 वर्ग मीटर तथा फ्लैट से संलग्न चौथे तल पर टैरेस का माप 185.80 वर्ग मीटर, सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- आसमान तक खुला, पश्चिम- आसमान तक खुला, उत्तर- कोरीडोर एवं ऐम्प, सीढ़ीयां, दक्षिण- आसमान तक खुला	06.05.2026 / 29.12.2023	2,69,34,364.00/- रुपये (केवल दो करोड़ उनहत्तर लाख चौंतीस हजार तीन सौ चौंसठ रुपये)दिनांक 05.05.2026 तक (जिसमें 05.05.2026 तक का ब्याज शामिल है)

सूचना की स्थानापन्न सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऊपरोक्त ऋणकर्ता(ओं व / या उनके गारंटरों को, (जहां भी लागू हो) इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर बकाया राशि को लौटाने के लिए कहा जाता है, अन्यथा हम प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण और प्रवर्तन की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत इस सूचना की तिथि से 60 दिन समाप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे।

ऋणकर्ताओं का ध्यान प्रत्याभूतित परिसम्पत्तियों को वापिस छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय में इस एक्ट की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

*** सरफेसी एक्ट 2002 के तहत पूर्व 13(2) सूचना दिनांक 01.01.2024 को निरस्त कर दिया गया है।**

दिनांक : 06.05.2026, स्थान : आगरा हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

NIT No. 31/NNMV/2026-27 Dated 21/05/2026

ई-निविदा सूचना

नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत/पात्र ठेकेदारों/अनुभवी फर्मो से ई-निविदा के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) 01 कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। शासनादेश संख 3590/नौ-5-149सा/2019 नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनाक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन में अपंजीकृत ठेकेदारों की प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वस्तूत निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी ज